

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में सहायक
प्राध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति के
संबंध में अभ्यर्थियों के लिए

आवश्यक दिशा-निर्देश

- 1. सेवा भर्ती नियम:**—प्रदेश के स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न संकायों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती, म0प्र0 तकनीकी शिक्षा इंजीनियरिंग महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भरती) नियम—2004 के अंतर्गत प्रारंभ में तीन वर्षों की कालावधि के लिये संविदा पर की जावेगी। इस कालावधि के पूर्ण होने पर सरकार द्वारा यथा अनुमोदित प्रक्रियानुसार नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा अभ्यर्थी के कार्य का पुनर्विलोकन किया जाएगा तथा यदि वह उपर्युक्त पाया जाए, तो उन्हें नियमित नियुक्ति प्रस्तावित की जायेगी।
- 2. रिक्त पदों के संकाय/विषय:**—वर्तमान में रिक्त पदों की पूर्ति केवल गेट—2016 की परीक्षा में सम्मिलित निम्नलिखित इंजीनियरिंग संकायों/विषयों के लिए की जाएगी :—

- Civil Engineering
- Mechanical Engineering
- Electrical Engineering
- Electronics and Communication Engineering
- Information Technology
- Applied Mechanics

- 3. आयु सीमा:**— अभ्यार्थी की दिनांक 01 जनवरी, 2017 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। विभिन्न श्रेणी के अभ्यार्थियों के लिए आयु में छूट म0प्र0 शासन के नियमानुसार प्रदान की जावेगी। उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के द्वारा किया जायेगा। उम्मीदवार नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा, जबकि शासन

द्वारा म0प्र0 सिविल सेवाए (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम—6 में दिनांक 10.03.2000 को किये गए संशोधन के अनुसारः—

- 26 जनवरी 2001 के बाद उम्मीदवार की तीसरी संतान न हो।
- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी की वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी।

4. उच्चतम आयु सीमा में छूटः—

- यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकलेगी वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः—पद “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्ग का हो तथा जो भारत शासन के अधीन कम से कम छः मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित था तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना

रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु, अन्यथा, आवेदन देने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई थी या उसे अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित किया था।

- (1). ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;
- (2). ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार भर्ती किया गया हो, और जिन्हें—
 - (क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर; और
 - (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर,
सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;
- (3). मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी;
- (4). ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं) जो उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों;
- (5). ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्विटों के विरुद्ध छह माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात सेवोन्मुक्त किया गया हो;
- (6). ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(7). ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं रहे;

(8). ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य के निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु-सीमा में 05 वर्ष की छूट रहेगी। यह छूट आयु संबंधी अन्य छूटों के साथ होगी;
- परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- अदिम जाति, हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन रकीम के अधीन पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- “विक्रम पुरस्कार धारक” अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

- स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना (होमगार्ड) के नाम कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जायेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- आकर्षिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के लिये उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष होगी;
- निःशक्त अभ्यर्थियों के संबंध में शासन की नीति अनुसार उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

टीपः—

- (i) उपर्युक्त पैरा—(4) के तहत सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करते हुये किसी भी प्रवर्ग में आयु में छूट लेने पर, अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ii) अधिकतम आयु सीमा की गणना परिपत्र क्रमांक सी—3—11 / 12 / 1 / 3, दिनांक 03.11.12 एवं 20.11.12 के अनुसार की जायेगी।

5. **शैक्षणिक योग्यता:**—अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यताएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक के पद हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी, जो कि— “प्रासंगिक शाखा में बी.ई./बी.टेक. और एम.ई./एम.टेक., जिसमें, बी.ई./बी.टेक. अथवा एम.ई./एम.टेक. में से किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो।”

“B.E./B.Tech. and M.E/M.Tech. in relevant branch with first class or Equivalent either in B.E./B.Tech or M.E/M.Tech.”

“एप्लाईड मैकेनिक्स विषय हेतु अभ्यर्थी प्रासंगिक शाखा यथा— सिविल इंजीनियरिंग अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक तथा एम.ई./एम.टेक होना चाहिये।”

6. अभ्यर्थी गेट-2016 परीक्षा में जिस ब्रांच/संकाय/विषय में सम्मिलित हुआ है उसी संबंधित ब्रांच/संकाय/विषय के पद हेतु **केवल ऑनलाइन आवेदन ही** प्रस्तुत करें।
7. ऑनलाइन आवेदन पत्र का शुल्कः—सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए रु. 500 (पोर्टल चार्ज रु. 100 सहित) एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) हेतु रु. 300 (पोर्टल चार्ज रु. 100 सहित) होगा।

इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन में सम्मिलित होने के विकल्प

- अभ्यर्थी के निवास में इन्टरनेट की सुविधा होने पर स्वयं के निवास से।
 - निकटतम एम.पी. ऑनलाइन अधिकृत कियोर्स केंद्र से।
 - अभ्यर्थी के शहर/गांव में स्थित इन्टरनेट की सुविधा के माध्यम से।
8. **आरक्षण:**—रिक्त पदों पर नियुक्तियों केवल संस्था विशेष के लिए है। पदों का आरक्षण एवं रोस्टर का संधारण संकायवार/विषयवार तथा महाविद्यालयवार किया गया है। केवल म0प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। म0प्र0 के अनु.जाति,

अनु.जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों को शासन के नियमानुसार अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों में छूट की पात्रता होगी।

9. चयन प्रक्रिया:—रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हेतु चयन गेट-2016 में प्राप्त स्कोर तथा उच्च अर्हता धारित करने पर उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर किया जावेगा। साक्षात्कार केवल भोपाल में आयोजित किये जावेगे। अभ्यर्थियों का अंतिम चयन 100 अंकों के आधार पर तालिका में दिये निम्नलिखित भारांक के अनुसार किया जावेगा।

क्र.	परीक्षा का विवरण	भारांक
1	GATE-2016 परीक्षा में प्राप्त स्कोर	90 प्रतिशत
2	संबंधित विषय की उपयुक्त शाखा में पीएच.डी.	05 अंक
3	व्यक्तिगत साक्षात्कार	05 अंक

10. यात्रा व्यय का भुगतान :—

मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के आवेदकों को निकटतम मार्ग का यात्रा व्यय दिया जायेगा।

11. प्रत्येक ब्रांच/विषय/संकाय से संबंधित पद हेतु पृथक—पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस संबंध में पृथक से कोई पत्राचार पर विचार नहीं किया जावेगा।

12. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अर्द्धशासकीय संस्थानों/शासकीय उपक्रमों में कार्यरत् उम्मीदवार साक्षात्कार के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण—पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करेंगे।

13. प्रत्येक विषय/संकाय के लिए महाविद्यालयवार तथा श्रेणीवार रिक्त पदों की जानकारी एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

रिक्त पदों की संख्या अनुमानित है इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन किया जा सकता है।

14. आवेदन करने की अंतिम तिथि:-ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 मई, 2016 है।

15. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग / संचालनालय तकनीकी शिक्षा को नियुक्ति प्रदिया किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

16. संकाय वार सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट www.mptechedu.org से अथवा संचालनालय तकनीकी शिक्षा से प्राप्त किया जा सकता है। पदों की संख्या अनुमानित है तथा इनका पुनरीक्षण करने पर इस संख्या में परिवर्तन किया जा सकेगा। उपर्युक्त सभी पद अस्थाई हैं।

17. यदि किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपर्युक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाता है तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

18. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के अथवा चयनोंपरांत किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पायें जाने पर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।

19. जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी,

अथवा जो लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिये कि यदि विभाग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त पद के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबंधित अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन—पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

20. अनहृताएँ :-

ऐसे आवेदक को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा, जिसे निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो;

- जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिए प्रयास किया हो, या
- पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या
- किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो या
- फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
- चयन प्रक्रिया के दौरान अथवा चयनोंपरांत किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या
- साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो, या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहँचाई, या
- साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो।